संचिका सं0–17– दाखिल खारिज (कार्यशाला)–240/2017 /रा0, पटना, दिनांक–

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचना

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा बिहार दाखिल खारिज (संशोधन) अधिनियम, 2017 की धारा–3 एवं बिहार दाखिल खारिज (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम–3 में निहित प्रावधानों के आलोक में दिनांक–16.04.2018 से राज्य के निम्नलिखित 104 अंचलों में आम नागरिकों/रैयतों की सुविधा, राज्यहित एवं दाखिल खारिज वादों के निष्पादन में पारदर्शिता बनाये रखने हेतु दाखिल खारिज याचिकाएं ऑन–लाईन प्राप्त करने एवं उसका निष्पादन भी ऑन–लाईन किये जाने की व्यवस्था की जाती है :–

क्र0	जिला का नाम	अंचल का नाम	जिलावार अंचलों की कुल संख्या
1	*2*	*3*	*4*
1	औरंगाबाद	1.मदनपुर, 2.नबीनगर, 3.रफीगंज	3
2	बेगूसराय	1.बचवारा, 2.बखरी, 3.भगवानपुर, 4.वीरपुर, 5.चौराही, 6. खुदाबंदपुर, 7.मंशुरचक, 8.नावकोठी, 9.साहेबपुर कमाल, 10.साम्हो अकहा कुरहा	10
3	भागलपुर	1.बीहपुर, 2.इस्माईलपुर	2
4	दरभंगा	1.अलीनगर	1
5	पूर्वी चम्पारण	1.अरेराज, 2.बंजरिया, 3.हरसिद्धि, 4.कल्याणपुर, 5.केसरिया, 6.कोटवा, 7. पहाड़पुर, 8.खेनहाड़ा, 9.पिपराकोठी, 10.रामगढवा, 11.रकसौल, 12.संग्रामपुर, 13.तेतरिया, 14.तुरकौलिया	14
6	गया	1.अमास, 2.बांकेबाजार, 3.डुमरिया, 4.ईमामगंज, 5.मानपुर, 6.मोहरा, 7. तनकुप्पा, 8.टेकारी, 9.वजीरगंज	9
7	गोपालगंज	1.बैकुण्ठपुर, 2.बरौली, 3.मांझा	3
8	जमुई	1.बरहट	1
9	जहानाबाद	1.घोसी, 2.हुलासगंज, 3.काको, 4.मकदुमपुर, 5.मोदनगंज,	5
10	लखीसराय	1.चानन, 2.हलसी, 3.पिपरिया, 4.रामगढचौक, 5.सूर्यगढा	5
11	मधेपुरा	1.बिहारीगंज	1
12	नालन्दा	1.अस्थावा, 2.बेन, 3.नुरसराय, 4.थरथरी	4
13	पटना	1.अथमलगोला, 2.बख्तियारपुर, 3.बेलछी, 4.दनियांवा, 5.धनरूआ, 6. घोसवारी, 7.मसौढ़ी, 8.पुनपुन, 9.समपतचक	9
14	पूर्णियां	1.बड़हाराकोठी, 2.भवानीपुर, 3.डगरूआ,	3
15	रोहतास	1.रोहतास, 2.संझौली	2
16	समस्तीपुर	1.विभुतिपुर, 2.विथान, 3.दलसिंहसराय, 4.हसनपुर, 5.मोहनपुर, 6. मोहीउदीनगर, 7.पटोरी, 8.रोसरा, 9.सरायरंजन, 10.शिवाजीनगर, 11. सिंघिया, 12.ताजपुर, 13.उजियारपुर, 14.विद्यापतिनगर, 15.वारीसनगर	15
17	शेखपुरा	1.अरियरी, 2.बड़विघा, 3.चेवारा, 4.शेखोपुर सराय,	4
18	शिवहर	1.पिपराही, 2.पुरनहिया	2
19	सीतामढ़ी	1.बेलसंड, 2.बोखरा, 3.चोरौत, 4.नानपुर, 5.परसौनी,	5
20	सीवान	1.आन्दर, 2.गुठनी, 3.हुसैनगंज, 4.नौतन	4
21	प0 चम्पारण	1.नौतन, 2.ठकराहा	2
		कुल	104

उल्लेखनीय है कि राज्य के 45 अन्य अंचलों में ऑनलाईन दाखिल खारिज प्रक्रिया विभागीय अधिसूचना सं0–1834, दिनांक–1.12.2017 से प्रारम्भ की गयी थी।

2. उपरोक्त सभी 104 अंचलों में दाखिल खारिज वादों का ऑन–लाईन निष्पादन दिनांक–16.04.2018 से किया जाएगा। उक्त अंचलों में दिनांक–16.04.2018 से ऑफ–लाईन पद्धति से दाखिल खारिज वादों का निष्पादन नहीं किया जाएगा।

3. राज्य के उपरोक्त 104 अंचलों में ऑन–लाईन दाखिल खारिज वादों के निष्पादन से संबंधित अंचलों में रैयतों के द्वारा विहित प्रपत्र–I"क" (प्रतिलिपि संलग्न) में हित अर्जित करने के साक्ष्य के साथ दाखिल खारिज याचिका अंचल अधिकारी को कार्यालय में अथवा राजस्व शिविर न्यायालय में ऑन–लाईन समर्पित किया जाएगा, जिसकी प्राप्ति रसीद भी उन्हें प्रपत्र–IV में तत्काल उपलब्ध करायी जाएगी। इसके अतिरिक्त रैयतों द्वारा दाखिल खारिज याचिका किसी भी स्थल से ऑन–लाईन समर्पित किया जाएगा, जिन्हें भी प्रपत्र–IV में प्राप्ति रसीद उपलब्ध होगा। इस प्रकार से प्राप्त ऑन–लाईन दाखिल खारिज याचिकाओं से संबंधित जांच प्रतिवेदन हल्का कर्मचारी एवं राजस्व अधिकारी से ऑन–लाईन दाखिल खारिज सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा एवं प्राप्त जांच प्रतिवेदनों की समीक्षोपरान्त अंचल अधिकारी ऑन–लाईन दाखिल खारिज सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही अपना आदेश पारित करेंगे तथा Digitally हस्ताक्षरित शुद्धि–पत्र प्रपत्र– XIV में ऑन–लाईन दाखिल खारिज पोर्टल के माध्यम से याचिकाआकर्त्ता को सुलभ करावेंगे अथवा याचिकाकर्त्ताओं द्वारा Digitally हस्ताक्षरित शुद्धि–पत्र अंचल कार्यालय से प्राप्त किया जा सकेगा। दाखिल खारिज वादों के निष्पादन एवं शुद्धि–पत्र निर्गत किये जाने के पश्चात पुरानी जमाबंदी से दाखिल खारिज की स्वीकृति के आलोक में रकवा को घटाया जाएगा एवं ऑनलाईन विधि से ही नई जमाबंदी प्रारम्भ की जाएगी।

4. संबंधित समाहर्त्ता राज्य के उक्त 104 अंचलों, जिनमें ऑन–लाईन दाखिल खारिज वादों के निष्पादन की प्रक्रिया दिनांक–16.04.2018 से प्रारम्भ की जाएगी, से संबंधित सभी जमाबंदी पंजियों का डिजिटाईजेशन पूर्ण कराते हुए, उसे विभागीय ऑनलाईन दाखिल खारिज के वेबसाईट पर दिनांक–14.04.2018 तक प्रकाशित कराने की आवश्यक व्यवस्था करेंगे।

5. दाखिल खारिज वादों के निष्पादन की ऑन–लाईन प्रक्रिया प्रारम्भ किये जाने की नयी व्यवस्था प्रारम्भ किये जाने पर आम लोगों को अंचल कार्यालय जाकर दाखिल खारिज याचिका समर्पित किये जाने की बाध्यता समाप्त हो जाएगी। दाखिल खारिज याचिका किसी भी स्थल से ऑन–लाईन समर्पित किया जा सकेगा, साथ ही दाखिल खारिज निष्पादन की सम्पूर्ण गतिविधि को याचिकाकर्त्ता एवं आम लोग दाखिल खारिज पोर्टल (www.land.bihar.gov.in) पर देख सकते है, जिससे दाखिल खारिज वादों के निष्पादन में पारदर्शिता बनाये रखा जाएगा। दाखिल खारिज के निष्पादन के क्रम में हर गतिविधि की जानकारी याचिकाकर्त्ता को उनके मोबाईल पर मैसेज के रूप में प्राप्त होता रहेगा, साथ ही दाखिल खारिज के निष्पादन के पश्चात् शुद्धि–पत्र भी आवेदक दाखिल खारिज पोर्टल (www.land.bihar.gov.in) से Download कर प्राप्त कर सकेंगे, साथ ही दाखिल खारिज वादों की स्वीकृति के पश्चात् याचिकाकर्त्ता के नाम स्वतः जमाबंदी पंजी में जमाबंदी प्रारम्भ हो जाएगी।

विश्वासभाजन

(विवेक कुमार सिंह),
प्रधान सचिव

ज्ञापांक–17– दाखिल खारिज (कार्यशाला)–240/2017 632 /रा0, पटना, दिनांक– 2/4/2018

प्रतिलिपिः–सभी विभागों के प्रधान सचिव/सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी समाहर्त्ता, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(विवेक कुमार सिंह),
प्रधान सचिव

ज्ञापांक–17– दाखिल खारिज (कार्यशाला)–240/2017 632 /रा0, पटना, दिनांक– 2/4/2018

प्रतिलिपिः–संबंधित अंचलों के अंचल अधिकारियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

(विवेक कुमार सिंह),
प्रधान सचिव

ज्ञापांक–17– दाखिल खारिज (कार्यशाला)–240/2017 632 /रा0, पटना, दिनांक– 2/4/2018

प्रतिलिपिः–मुख्य सचिव, बिहार के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

(विवेक कुमार सिंह),
प्रधान सचिव

ज्ञापांक–17– दाखिल खारिज (कार्यशाला)–240/2017 632 /रा0, पटना, दिनांक– 2/4/2018

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

(विवेक कुमार सिंह),
प्रधान सचिव

ज्ञापांक–17– दाखिल खारिज (कार्यशाला)–240/2017 632 /रा0, पटना, दिनांक– 2/4/2018

प्रतिलिपिः– ई–गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं बिहार राज्य पत्र के अगामी असधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

(विवेक कुमार सिंह),
प्रधान सचिव

ज्ञापांक–17– दाखिल खारिज (कार्यशाला)–240/2017 632 /रा0, पटना, दिनांक– 2/4/2018

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

(विवेक कुमार सिंह),
प्रधान सचिव